

196

राज्यराजीव सिंह,
दिल्ली राज्यों
शासन।

देश मे

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,
30प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्नति कार्यक्रम विभाग।

विषय- घालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आईएच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-जालौन/झांसी व ललितपुर की 04 परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5258/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015, पत्र संख्या-5260/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015, पत्र संख्या-5321/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईएच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत घालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-जालौन की नगर निकाय-कालपी की 120 आवासों के सापेक्ष के 162 आवासों व निकाय-कटौरा की 156 आवासों के सापेक्ष 63 आवासों, जनपद-झांसी की निकाय-पिंडौर की 144 आवासों के सापेक्ष 123 आवासों एवं जनपद-ललितपुर की निकाय-पाली की 144 के सापेक्ष 37 आवासों की 04 परियोजनाओं हेतु क्रमशः रु0 103.03 लाख, रु0 217.37 लाख, रु0 444.06 लाख एवं रु0 136.12 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रशंगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित देय अंतर की धनराशि क्रमशः रु0 23.49 लाख, रु0 56.46 लाख, रु0 121.62 लाख व रु0 41.06 लाख अर्थात् कुल रु0 242.63 (रुपये दो करोड़ बयानिस लाख तिरसठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-15-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिवर्ती के अधीन इहार्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजन रथना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यवहार स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संबंध भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित दूड़ा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

क्रमशः 2

प्रधानमंत्री/प्रभु भट्टल

र
10/11/15

उनके साथमें निर्माण की जगह पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा उनके साथमें निर्माण की जगह पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा उनके साथमें निर्माण की जगह पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा।

- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ एवं सर्वोच्चत दूड़ा प्रभुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्तानामेपत्रस्त किया जायेगा।
 - प्रत्येक आहरण का सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषगार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
 - स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषगार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-बी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक २०.०३.२०१२ के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - परियोजना में सन्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/दूड़ा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/दूड़ा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/दूड़ा का होगा।
 - परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में ३०प्र० के बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/दूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 - निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
 - उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की दैवरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - स्वीकृत की जा सही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदारी संस्था से एम०ओ०य० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
 - योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-७४(४)/७५/११, दिनांक २५.०१.२०११ में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
 - लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को दास्तवित रूप से किया जायेगा।
 - प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अनितम होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

८ कानूनी संस्करण के ए-गोवर्नमेंट कानून के द्वारा अनुबन्ध नियम (संख्या ५६ सुनीलोपल वर्मा) के १३ परिवारकाल में संशोधन आवासिय विभाग के वित्त विभाग सम्बन्धित शासनादेश संख्या १४१३/१४-१२/१३, दिनांक १५ अक्टूबर २००७ एवं संसदाते संख्या-१४४७/६९-१०-१५(१०२)०७, दिनांक २२ जून २०१० का उल्लंघन है तब आवासिय संस्करण अन्य किसी कारण से अन्तर घनरात्रि, यादि कानून हो तो उसे राजनीति में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

१९. परिवारकाल से सम्बन्धित नियमण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०३०००३००) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दृष्टि को निश्चित किया जायेगा।

२. यह आदेश वित्त विभाग के कायाकल्प जाप संख्या-२/२०१५/वी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३० मार्च, २०१५ तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
[Signature]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-६३९/२०१५/८६६ (१)/६९-१-१५-०१(बजट)/०९टीसी, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


१. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
२. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
३. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवाँ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
४. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, जालौन/झांसी/ललितपुर।
५. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
६. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
७. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
८. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
९. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
१०. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
११. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
१२. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
१३. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
[Signature]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

तात्पर्यात्।

क्र.	जनसंख्या	मु.	अनुसूचित	वर्ग	अनुसूचि	परियोजना	पर्याप्ति	परियोजना	पर्याप्ति
सं	परियोजना के आवासों की संख्या अवधारणा की संख्या	परियोजना के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के संख्या	लगत	मान्यता	अनुसूचित वर्ग के आवासों की संख्या	परियोजना के लगत	परियोजना की संख्या	पर्याप्ति अनुसूचित संख्या की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जालौन/कालपी- 120 आवास	328.95	31	84.98	74.69	398.83	103.03	98.18	23.49
2.	जालौन/कटौरा- 156 आवास	424.58	63	171.46	149.91	538.25	217.37	206.37	56.46
3.	झासी/पिछौर- 144 आवास	401.01	123	342.53	300.42	519.87	444.06	422.04	121.62
4.	ललितपुर/पाली- 144 आवास	391.96	37	100.71	88.03	529.78	136.12	129.10	41.06
	योग								242.63

(रूपये दो करोड़ बयालिस लाख तिरसठ हजार मात्र)।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।